पत्रांक—योजना बजट—59 / 2015 / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना—15, दिनांक—......./ 11 / 2016

विषय :— वित्तीय वर्ष 2016—17 से 2018—19 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत सहरसा वन प्रमंडल के आरण गाँव से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क के किनारे वृक्षारोपण और मोर पक्षी के उपर वृत्तचित्र निमार्ण कार्य हेतु कुल ₹33.73 लाख (तैतीस लाख तिहत्तर हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में ₹24.69 लाख (चौबीस लाख उनहत्तर हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016—17 से 2018—19 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत सहरसा वन प्रमंडल के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट—1 की लागत पर परिशिष्ट—2 के अनुरूप आरण गाँव से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क के किनारे 1500 बाँस गैबियन वृक्षारोपण और मोर पक्षी के संबंध में वृत्तचित्र निमार्ण कार्य के क्रियान्वयन करने हेतु कुल ₹33.73 लाख (तैतीस लाख तिहत्तर हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016—17 में व्यय हेतु मात्र ₹24.69 लाख (चौबीस लाख उनहत्तर हजार ₹) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष—2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01—वानिकी—राज्य योजना, लघु शीर्ष—800—अन्य व्यय, मांग संख्या—19 उप शीर्ष—0105—पथ तट फार्म, विपत्र कोड—पी2406018000105 राज्य स्कीम कोड—फॉर 5056 के विषय शीर्ष—02 01—मजदूरी, एवं 27 01—लघु कार्य, तथा मुख्य शीर्ष—2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01—वानिकी—राज्य योजना, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या—19 उप शीर्ष—0103—पथ तट फार्म, विपत्र कोड—पी2406017890103 के विषय शीर्ष—02 01—मजदुरी के अंतर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा होगें तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०—11 / टि० पर दिनांक—22.11.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृ०—12 / टि० पर दिनांक—24.11.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजना को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने, इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी।

10. स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये पूर्ण कार्यों पर स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–59/2015 5405 /प०व० पटना–15, दिनांक–29/11/2016

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

(25)

परिशिष्ट-1

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।					
क्र०	योजना की विवरणी	प्राक्कलित राशि (रूपया में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	2	3	4	5	6
1	सहरसा शहर से तिलावे पुल तक (आरण से होकर) 1500 पौधा बॉस गैबियन में।	1693388	583335	320310	**2597033**
2	आरण में मोर के विकास पर 10 मिनट अवधि के HD फॉरमेट में वृत्तचित्र का निर्माण। सरकार द्वारा सूचीबद्ध वृत्तचित्र निर्माणकर्त्ता को, स्वीकृत दर पर भुगतान किया जाएगा।	776250	0	0	**776250**
	सकल योग:-	**2469638**	**583335**	**320310**	**3373283**

(रूपये तैंतीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ तेरासी) मात्र

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है, जिसके आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

29/11/16
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

29/9/16
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

वन प्रमंडल, सहरसा

[illegible] वर्ष 2016-17 अग्रिम [illegible] कार्य एवं वर्ष 2017-18 [illegible]

सम्पोषण कार्य

[illegible]		पौधा की संख्या [illegible]	1500
[illegible]		[illegible]	1500
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		कि0मी0	[illegible]
[illegible]		पौधा से पौधा की दूरी	[illegible]
[illegible] मानव दिवस	206		

[illegible] अमरूद, [illegible] जामुन, [illegible] इत्यादि

क्रम सं.	कार्य का विवरण	इकाई	भौतिक लक्ष्य	मानव दिवस	इकाई दर मजदूरी	इकाई दर सामग्री	कुल मजदूरी	कुल सामग्री	कुल व्यय
	प्रथम वर्ष अग्रिम-[illegible] कार्य (2016-17)								
11.1	[illegible] का [illegible] (7 x 2'x 2')	[illegible]	1500	.....	265	624	397500	936000	13335[illegible]
11.2	[illegible] कार्य [illegible] 45सेमीX 45सेमीX 45सेमी [illegible] (मिट्टी कोड़ना)	[illegible]	1500	0.0879	17.04	0	25560	0	255[illegible]
11.3	वृक्षारोपण हेतु गोबर का क्रय		1500			25	0	37500	375[illegible]
11.4	पौधारोपण (10 ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं गोबर के मिश्रण के साथ)	प्रति पौधा	1500	0.096	19.78	2.50	29670	3750	33420
11.5	6' साईज पौधों का क्रय परिवहन इत्यादि । 10 प्रतिशत अधिक (बाजार मूल्य पर)	प्रति पौधा	1650	0	0.00	80.00	0	132000	132000
11.6	प्रथम वर्ष 500 पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी मृत पौधों का बदलाव तथा 6 माह (अक्टूबर से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 X 206 X 6) = 32136 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला इत्यादि ।	प्रति पौधा	1500	0.312	64.27	20	96408	30000	1264[illegible]
11.7	विविध कार्य (छायांकन इत्यादि)		1650	0	.....	L/S	0	5000	50[illegible]
						कुल :	549138	1144230	1693388
	द्वितीय वर्ष (2017 18) प्रथम सम्पोषण								
11.8	500 पौधों के दो कोड़नी निकौनी मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 X 206 X 12) = 64272 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद वर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री, इत्यादि ।	प्रति पौधा	1500	0.624	128.54	10	192810	15000	207810
11.9	मृत पौधों का बदलाव @ 60/- रू0 प्रति पौधा का 10 प्रतिशत	प्रति पौधा	35	0	0	15	0	525	525
11.10	विविध कार्य (सैम्बू गैबियन मरम्मति कार्य इत्यादि)	प्रति पौधा	1500	0	0	250	0	375000	375[illegible]
						कुल :	192810	390525	583335
	तृतीय वर्ष (2018-19) द्वितीय सम्पोषण								
11.11	500 पौधों के दो कोड़नी निकौनी मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 X 206 X 12) = 64272 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद वर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री, इत्यादि ।	प्रति पौधा	1500	0.624	128.54	10	192810	15000	20[illegible]810
11.12	विविध कार्य (सैम्बू गैबियन मरम्मति कार्य इत्यादि)	प्रति पौधा	1500	0	0	75	0	112500	11[illegible]500
						कुल :	192810	127500	320310
						कुल योग :	934758	1662275	2597033
	पच्चीस लाख संतानवे हजार तेंतीस रूपये मात्र								

नोट - 1. रू. 206 प्रति मानव दिवस पर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

2. मानक दर के विविध कार्य में ठेला, एवं पटवन सामग्री क्रय प्रावधानित है।

3. साईन बोर्ड का प्रावधान अलग रखा गया है।

समर्पित

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
सहरसा

T.S granted for Rs. 2597033.00

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा।

प्रतिहस्ताक्षरित

~~रू. 2597033.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है~~।

21/09/16

वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ ।

29/11/16